

न्यायालय जिला कलेक्टर, सिरौही
बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 94/2020

अपीलार्थी	बनाम	रेस्पोंडेन्ट
श्री कालुराम पुत्र जगनारामजी नरामयणलाल पुत्र बाबुजी गणेश पुत्र लालुराम,भेराराम पुत्र सीताजी पुत्र धर्मराम पुत्र हिदाजी कालूराम,भेराराम पुत्र थानाजी, सीताराम पुत्र हेमाजी, रमेशकुमार पुत्र बाबूजी, टेकाराम, जोराराम,राजाराम,भेराराम पुत्र सांकलाजी,शैतान पुत्र मोती ती जाति सभी धांची निवासीयान धांची तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही		सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :

1. श्री उमेश पटेल अधिवक्ता अपीलांट।
2. तहसीलदार सिरौही (पैरोकार सरकार)।

निर्णय

दिनांक : 20.11.2020

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत नायब तहसीलदार, पिण्डवाडा द्वारा उनके मुकदमा संख्या 49/2020 में पारित आदेश दिनांक 17.9.2020 के विरुद्ध दिनांक 26.10.2020 को प्रस्तुत की जो दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर रेस्पोंडेन्ट को सम्मन जारी किया गया।

अभिलेख प्राप्त होने एवं सम्मन तामिल होने पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री उमेश पटेल द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि नायब तहसीलदार, पिण्डवाडा द्वारा ग्राम झाडोली पटवार हल्का झाडोली तहसील पिण्डवाडा के खसरा नम्बर 2513,2515 रकबा 1.00 बीघा किस्म गेमु.पत्थर पर अपीलार्थी को नये सर अतिक्रमी मान कर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(1) के तहत नोटिस जारी किया गया जो नोटिस अपीलांट को तामिल करवाया गया जिसे अपीलांट पर तामिल मानकर उसे उपस्थित बताकर निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट को हाजिर बताते हुए भौतिक रूप से बेदखल करने एवं रुपये 60/- का जुर्माना आरोपित करने एवं



जिला कलेक्टर, सिरौही

तीन माह के सिविल कारावास की सजा के आदेश पारित किये गये । जो कानूनी रूप से उचित एवं विधिसम्मत नहीं है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान नहीं लिये गये है जिसमे पटवारी द्वारा पूर्व मे मौके से बेदखल करने का कथन सिद्ध नहीं होता है । अपीलान्ट को जिरह करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है, ना ही अपीलांट को किसी तरह का कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है । अपीलांट द्वारा न तो कोई अतिक्रमण किया गया है या विवादित भूमि पर कब्जा किया गया है ।

प्रथम पेशी पर ही उसके विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है । इस संबंध मे उनके द्वारा विधिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2005(2) पेज 1474, आर.आर.डी. 1993 पेज 465, एवं आर.आर.डी. 2001 पेज 401 प्रस्तुत कर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया ।

रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में परोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा कर का त किया है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में किसी तरह की कोई कानूनी त्रुटि नहीं की गई है । अपीलान्ट को पेशी का नोटिस तामिल शुदा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है । अपीलान्ट आदतन अतिक्रमी है एवं विवादित भूमि सरकारी बिलानाम भूमि है जो नियमों के तहत आवंटन या नियमन नहीं हो सकती । राजकीय भूमि की रक्षा करना प्रशासन का प्रथम दायित्व बनता है । यदि राजकीय भूमि अतिक्रमित हो जायेगी तो पशुओं के चराई के ऊपर भारी संकट उत्पन्न हो सकता है, अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

मैंने दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भाँति अध्ययन एवं अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में गेमु पत्थर दर्ज है । अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा संवत् 2076 रबी मे अतिक्रमण करने से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(1) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसमे पश्चात्वर्ती अतिक्रमण का नोटिस जारी नहीं किया गया है । विवादित भूमि रिक्त करने की अपेक्षा की गई थी उक्त नोटिस अपीलांट को तारीख पेशी से पूर्व तामिल कराया गया था एवं अपीलांट तारीख पेशी पर उपस्थित हुआ । तामिल कुनिन्दा द्वारा तामिल शुदा नोटिस अधिनस्थ न्यायालय प्रस्तुत किया जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे मौजूद है ।



जिला कलेक्टर, जयपुर

अपीलान्त अधिवक्ता का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे परचात्यूति अतिक्रमण का नोटिस जारी किये बिना ही अपीलार्थीन आदेश पारित कर दिये है मानने योग्य प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली देखने पर उसकी उपस्थिति अंकित है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह कथन अपने आदेशिका में किया गया है कि अपीलान्त हाजिर है। अलग से लिखे गये निर्णय में उसे उपस्थित बताया गया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त निर्णय पर अपने हस्ताक्षर दिनांक 6.3.2020 को किये जाने पाये जाते हैं।

नायब तहसीलदार, पिण्डवाडा द्वारा अपने निर्णय में पटवारी के रिपोर्ट पर भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी के हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है। पटवारी द्वारा पूर्व में अतिक्रमण हटाने बाबत कथन अपनी रिपोर्ट में नहीं किया गया है। पत्रावली पर पूर्ववर्ती अतिक्रमण के साक्ष्य मौजूद नहीं है। अपीलान्त अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि उनके द्वारा जुर्माना राशि रुपये 60/- (अक्षरे साठ रुपये) पटवारी हल्का को जमा करा दिये गये हैं।

अपीलान्त गरीब व्यक्ति है इसलिए उस पर नरमाई का रुख अपनाया जाना विधि सम्मत है उसके कारागृह में रहने के कारण उसका परिवार मानसिक एवं आर्थिक पीडा भुगतने को विवश होगा जो न्याय के विपरित होगा। अपीलान्त अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त आरआरटी 2005(2) पेज 1474 रिविजन नं. 51 झुन्झुनु-2002 जो माननीय पी.सी.बलाई सदस्य, राजस्व मंडल, अजमेर द्वारा दिनांक 17.5.2005 को निर्णित की गई उसके पेटा संख्या 7 में भी नायब तहसीलदार, मलसीसर के सिविल कारावास के निर्णय को अपास्त किया गया है। आरआरडी 1996 पेज 585 की नजीर से भी हम पूर्णतया सहमत हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को पारित निर्णय में जुर्माना एवं बेदखली का आदेश यथावत कायम रखते हुए अपीलान्त का अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सिविल कारावास की सजा निरस्त की जाती है। प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल करें।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।



(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही